रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2348] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2015/ कार्तिक 7, 1937
No. 2348] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2015/KARTIKA 7, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2937(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 243ठ और अनुच्छेद 243यख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अंदमान निकोबार द्वीप समूह पंचायत विनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 186, लक्षदीप पंचायत विनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 86, दादरा और नागर हवेली ग्राम पंचायत विनियम, 1965 (1965 का 3) की धारा 46क, गोवा, दमण और दीव ग्राम पंचायत विनियम, 1962 (1962 का 9) की धारा 45क और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह नगर पालिका विनियम, 1994 (1994 का 5) की धारा 72 और गोवा, दमण और दीव, नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 16) की धारा 143क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई का.आ. सं. 324(अ), 325(अ), 326(अ), 327(अ) सभी तारीख 30 अप्रैल, 1994 और का.आ. 386(अ) तथा 387(अ), तारीख 23 मई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243झ और 243म के अनुसरण में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 4 सितंबर, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2666(अ), तारीख 26 अगस्त, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य 1 दिसंबर, 2014 से तेरह मास की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।";

(ii) पैरा 7 में, "नौ मास" शब्दों के स्थान पर "तेरह मास" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 15039/26/2012/पीएलजी सेल]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: वित्त आयोग का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 4 सितंबर, 2013 की आ. सं. सां. आ. 2667(अ), तारीख 26 अगस्त, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके बाद 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.का.आ. 408(अ) और सं. का. आ. 2246(अ) दिनांक 17 अगस्त, 2015 के तहत संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October , 2015

S. O. 2937(E).—In pursuance of articles 243-I and 243-Y of the Constitution, read with the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O. 324(E), S.O. 325(E), S.O. 326(E), S.O. 327(E), all dated the 23rd April, 1994 and S.O. 386(E) and 387(E), dated the 23rd May, 1994, issued in exercise of the powers conferred by articles 243 L and 243 ZB of the Constitution, and in exercise of the powers conferred by section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994 (1 of 1994), section 86 of the Lakshadweep Panchayats Regulation, 1994 (4 of 1994), section 46A of the Dadra and Nagar Haveli Village Panchayats Regulation, 1965 (3 of 1965), section 45A of the Goa, Daman and Diu Village Panchayats Regulation, 1962 (9 of 1962) and section 72 of the Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Regulation, 1994 (5 of 1994) and section 143A of the Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968 (16 of 1968), the President hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2667(E), dated the 26th August, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th September, 2013, namely:-

2. In the said notification, -

(i) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"2. The Chairman and other Members of the Commission shall hold office for a period of **thirteen months with effect from 1st December, 2014**.";

(ii) in paragraph 7, for the words "nine months", the words "**thirteen months**" shall be substituted.

[F. No.15039/26/2012-Plg. Cell]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal notification constituting the Finance Commission was published vide notification number S. O. 2667(E), dated the 26th August, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 4th September, 2013 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 408(E), dated the 10th February, 2014 and S.O. 2246 (E) dated the 17th August, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.